



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर**

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक - 232 / 23 एल.ए.
सेवा में,

दिनांक 06/02/2018

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :- राज्य योजना के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में।

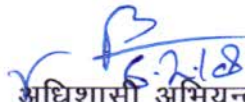
सन्दर्भ :- नोडल अधिकारी, देहरादून का पत्रांक दि. 16.01.2018
महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि FP/UK/ROAD/16517/2015 के सम्बन्ध में चाही गयी सूचना संशोधित कर निम्नानुसार आपको प्रेषित की जा रही है :-

Sl. No.	E.D.S. R.O.	Reply by User Agency
1	If the project involve boundary of seven village as mentioned in the list of villages to be benefited and village wise bereakup provided with the proposal then proceedings of village level committee (VLC) meeting pretaining to other villages may also be furnished with the FRA certificate. The FRA certificate uploaded in online Part-I, only four VLC meeting proceedings are enclosed.	There are <u>only</u> four revenue villages and other are Tok, so that these Villageses NOC uploaded in FRA Paper in Part I (K) & Additional Information. A soft copy is also attached.
2	The copy of FRA certificate uploaded in the designated place along with the annexure having area is only 4-235 ha while the area proposed for diversion is 4-088 ha. The State Govt. may correct the area in FRA certificate amd all annexure and revised FRA map upload in online Part-I.	Correction has been made and signed copy of FRA is now uploaded in Part-I (K) & Additional Information. A soft copy is also attached.
3	The CA scheme provided with the proposed is for area area 7.84 ha while is should be for double the area proposed for diversion i.e. 8-176 ha area. The State Govt. may provide revised CA scheme.	Corrected Map has been uploaded in Part-I (L) & Additional Information. A soft copy is also attached.
4	As per Decision Support System (DSS) Analysis the area of CA shown in KML file of CA in Part-II shows the extent of area as 6.31 ha instead of 8.176 ha area proposed for CA. may upload KML file again showing the correct extent of area proposed for Ca. in addition out of total area of 8.176 ha proposed for CA, 4 ha is on moderately dense forest. State Govt may replace this 4 ha area with some other area suitable for CA and provide/upload revised digital map, Sol toposheet map and KML file of the complete 8.176 ha CA area again after making the above change.	Dence Forest Certificate attached in Additional Information . A soft copy is also attached.

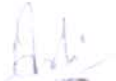
5	The area having 0.4 density as mentioned in PartI but 0.4 density dose not account for very dense forest for which the State Govt. had calculated the NPV. State Govt. may correct the calculation of NPV.	The CA Patch is not in dense area for this Dence Forest Certificate attached in Additional Information . A soft copy is also attached.
6	Employment generation detail furnished in on line Part I seems inappropriate. The State Govt. may review the data and correct data may fill in omn line Part I, if required.	Correction has been made in Part-I (E) in Employment Details
7	The copy of MOU signed between user agency and the present owner of the land proposed for CA uploaded in online Part- I at designated column is not opened. The State Govt may upload it again.	The copy of MOU signed between user agency and the present owner of the land proposed for CA is now uploaded in Part-I (L) & Additional Information. A soft copy is also attached.
8	Uploaded FRA in Part-I is not in prescribed format, please rectified accordingly.	Corrected FRA certificate has been uploaded in Part-I (K) & Additional Information. A soft copy is also attached.

सलग्न - सूचना।


 अधिशासी अभियन्ता
 प्रा.खं.ध.लो.नि.वि.अभियन्ता
 ग्रामीण विकास विभाग
 गोपेश्वर

सघन वन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि चमोली-पलेटी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक लोक से ग्राम गोलिम, फोहर रोड मार्ग द्वारा अनुसूचित जाति ग्राम चतुश्वर तक मोटर मार्ग निर्माण की अन्तर्गत ग्राम के वा मैकोट के खसरा संख्या 1877 मध्ये में दिया गया क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल सघन वन नहीं है।


वन डी. सिकोटी
मोहर-1/72
कीदारनाथ नगर जी.पी. नगर


अधिशाली अभियन्ता
ग्रन्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

योजना का नाम : जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में चमोली-पलेढी मोटर मार्ग के सिकोटी नामक स्थान से मोलिम रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चतथर तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

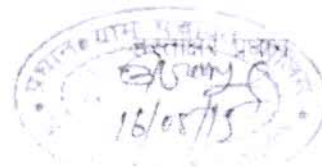
जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली में चमोली-पलेढी मोटर मार्ग के सिकोटी नामक स्थान से मोलिम रोपा होते हुए अनुसूचित जाति ग्राम चतथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 3.92 हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 3.92 हे० सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बाबा ने प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधान के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नही किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा, कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 3.92 हे० सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिया जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति सलग्न है।

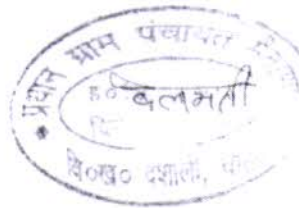
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

✓ 6.2.18
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गंगेश्वर

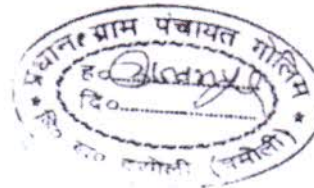


अनापत्ति प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 25/03/2015 को ग्राम पंचायत गोलिम-रोपा की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों को सिफोटी नामक तोक से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं. 8.00 किमी.) के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरक्षण से हमें कोई आपत्ति नहीं है।



ग्राम प्रधान



महोदय,
नमस्कार

[Signature]

- न्यायिक गतिविधि

सीतादेवी
गीता देवी जग हरीचलान

जु-ही लाल
नेरुला लाल श. भाग-इलाहाबाद
01/04/15 (जिगरीशाल)

[Signature] (लाल (महाराष्ट्र))

जोपावा

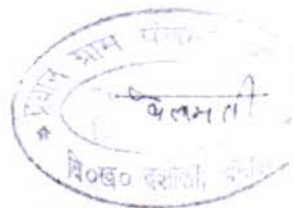
PHOTOCOPY
ATTESSED

[Signature]
बहालक जिला
दि. 20.03.15
बालेश्वर

6-2-18
अधिकासी अभिवन्ता
अन्वीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
बालेश्वर

आज दिनांक 11.3.15 को ग्राम पंचायत हरमनी की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों को सिफोटी नामक तोक से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं. 8.00 किमी.) के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं संरक्षण से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

- ① केमन सिंह
- ② भदर सिंह
- ③ राजपाल सिंह
- ④ मोहन सिंह



PHOTOCOPY
ATTESTED

(100)
NE

सहायक पंचायत
डा० ब० न० १०३/१५
सिफोटी



6-2-18

अध्यासी अमिताभ भाग
सहायक पंचायत लोक निर्माण विभाग
सिफोटी

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

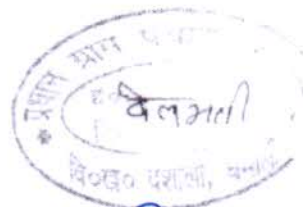
आज दिनांक 13.7.18 को ग्राम पंचायत सजोषी की खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों को सिफोटी नामक तोक से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं. 8.00 किमी.) के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं सरेखण से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

1. जे.पालाविके वलरिने सजोषी
2. शिवाजीराविके वलरिने सजोषी
3. बडोईराविके वलरिने सजोषी



PHOTOCOPY
ATTESTED

ग्राम प्रधानी
दिनांक 13.7.18



6-2-18
अभिशासी अभियन्ता
ग्रामीण खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोरेगुवा

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

आज दिनांक 15.12.18 को ग्राम पंचायत रोपा-तोलगाडकी खुली बैठक हुयी जिसमें निर्णय लिया गया की हम समस्त ग्रामवासियों को सिफोटी नामक तोक से गोलिम-रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग (लं. 8.00 किमी.) के निर्माण से कोई आपत्ति नहीं है, एवं मोटर मार्ग का निर्माण शीतातीशीघ्र किया जाय, जिससे ग्रामीणों को यातयात की सुविधा मिल सके, एवं उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में आने वाली भूमि एवं सरेखण से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

1. प्रमोद सिंह
2. विनोद सिंह
3. [Signature]
4. देवेंद्र सिंह
5. जमल सिंह
6. उमर सिंह
7. [Signature]
8. प्रकाश सिंह
9. [Signature]
10. प्रदीप सिंह
11. गणेश सिंह
12. [Signature]
13. [Signature]
14. [Signature]



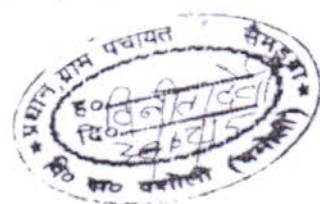
Photocopy
Notified
[Signature]
[Text]

6-2-18
अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

कि जहाँ राड को सब बोलिया से बोलिया लव
हुई कि जिसमें की हमारे ग्राम सेना सेमडुल ही लव
बस्ती व बोलिया लव रापा बोलिया से आनेवाले
राड पर जोड आपल बोलिया लव रहे है

अल महोदयजी से लिखल है की इस राड के बाय
की जल्द से जल्द सुरु कर दिया जाने की
होपा कीजिए

ग्राम प्रधान रापा बोलिया
श्री पराबता देवी
कि लिख



- 24 उपलब्ध
- 25 जयदीप
- 26 शारदा देवी
- 27 Anil Kumar
- 28 सुनील देवी
- 29 Anil Kumar
- 30 राजीव देवी
- 31 राजीव देवी

PHOTOCOPY
ATTESTED
AE

- 1 Himanshu Singh
- 2 Anil Kumar
- 3 Anil Kumar
- 4 Anil Kumar
- 5 Anil Kumar
- 6 Anil Kumar
- 7 Anil Kumar
- 8 Anil Kumar
- 9 Anil Kumar
- 10 Anil Kumar
- 11 Anil Kumar
- 12 Anil Kumar
- 13 Anil Kumar
- 14 Anil Kumar
- 15 Anil Kumar

6-2-16
अधिशाली अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोवर्धन

क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने की सम्बन्ध में

परियोजना का नाम:-

चमोली-पलेटी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान मिर्कोटी तालुक लोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम वलथ तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उपरोक्त योजना हेतु वन विभाग को वनक्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा वन विभाग हेतु वन संहार अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैन्यात्मिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। खसरा नम्बर 1877 कुले-मैकोट कोटपूरक स्थल हेतु दिया जाता है।

अधिशाली अभियन्ता
अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण विकास विभाग
प्रां० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

अधिशाली अभियन्ता,
चमोली

6.2.18
अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण विकास विभाग
गोपेश्वर

परियोजना का नाम:-

चमोली-पलेठी- सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल उपयुक्त प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत चमोली-पलेठी-सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुये अनुसूचित जाति ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण हेतु 8.176 हे. टा. कु. के सिविल भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त स्थल है।

वन क्षेत्राधिकारी

वन अधीनस्थ

चमोली जिला

क्षेत्रीय वन प्रशासन

उपवन संरक्षक,

जानतीय वन अधिकारी

बदोनाथ वन भा।

गोपेश्वर (चमोली)

आध्यासी अभियन्ता

जानतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

गोपेश्वर